निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 पौष 1940 (श0)
(सं0 पटना 17) पटना, वृहस्पतिवार, 3 जनवरी 2019

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना
3 जनवरी 2019

एस०ओ० 6, दिनांक 3 जनवरी 2019— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), **जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है,** की धारा 51 **के साथ पठित धारा** 1 की उपधारा (3) **द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,** बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 238, दिनांक 13 सितम्बर, 2018, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या– 847, दिनांक 13 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, यथा :–

उक्त अधिसूचना के दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि इस अधिसूचना की कोई बात ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय को लागू नहीं होगी जो उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन विनिर्दिष्ट एक **व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति के बीच होता है।"।**

2. यह अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं0सं0 ब्रिकी–कर / जी0एस0टी0 / विविध–21 / 2017 (खंड–4)–36)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

3 जनवरी 2019

एस०ओ० 6, दिनांक 3 जनवरी 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं0सं0 ब्रिकी–कर / जी0एस0टी0 / विविध–21 / 2017 (खंड–4)–36)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 3rd January 2019

S.O. 6, dated the 3rd January 2019— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1, read with section 51 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), hereafter in this notification referred to as the said Act, the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the Commercial Taxes Department notification No S.O.238 dated the 13th September, 2018 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number. 847, dated the 13th September, 2018, namely:–

In the said notification, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that nothing in this notification shall apply to the supply of goods or services or both which takes place between one person to another person specified under clauses (a), (b), (c) and (d) of sub-section (1) of section 51 of the said Act.".

2. This notification shall come into force with effect from 31st December, 2018.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-4)—36)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 17-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in